निबंध

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" – संभावनाएँ और चुनौतियाँ

भूमिका

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ लगभग हर वर्ष किसी न किसी स्तर पर चुनाव होते रहते हैं। इन चुनावों की आवृत्ति ने लोकतांत्रिक जीवंतता को तो मजबूत किया है, लेकिन इसके साथ ही आर्थिक बोझ, प्रशासनिक दबाव और नीतिगत अपंगता जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" (One Nation, One Election) की अवधारणा ने जन्म लिया है हाल ही में इस विषय पर राजनीतिक चर्चाएं हर नागरिक के बीच एक मुद्दा बना हुआ है।

संयुक्त संसदीय समिति के पास वर्तमान में दो महत्त्वपूर्ण विधेयक विचाराधीन हैं —

- 129वाँ संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024
- केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024
- इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने की संवैधानिक रूपरेखा प्रदान करना है।

1. मुख्य प्रावधान

129वाँ संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024

- **अनुच्छेद 82A (नया)** – लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के एक साथ आम चुनाव।
- **अनुच्छेद 83 में संशोधन** – यदि लोकसभा अपनी अवधि से पहले भंग होती है तो नई लोकसभा शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी।
- **अनुच्छेद 172 में संशोधन** – राज्य विधानसभाओं की अवधि भी लोकसभा के अनुरूप।
- **अनुच्छेद 327 में संशोधन** – संसद को "समानांतर चुनावों का संचालन" करने की शक्ति।
- **चुनाव आयोग की भूमिका** – लोकसभा व विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करना।
- **राष्ट्रपति की अधिसूचना** – संशोधन लोकसभा की पहली बैठक से प्रभावी होंगे।

केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024

केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963; दिल्ली अधिनियम, 1991 तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन।

विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों का कार्यकाल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अनुरूप किया जाएगा।

2. एक साथ चुनाव की आवश्यकता

- **आर्थिक बोझ कम करना** – बार-बार चुनावों में मानवशक्ति, सुरक्षा और उपकरणों पर व्यय घटेगा।
- **शासन में स्थिरता** – बार-बार आचार संहिता लागू होने से विकास योजनाएँ बाधित होती हैं।
- **मतदाता थकान कम करना** – लगातार चुनावों से घटती भागीदारी की समस्या हल होगी।
- **प्रशासनिक दक्षता** – संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और चुनाव अपराधों में कमी आएगी।
- **आर्थिक प्रभाव में सुधार** – निवेश, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला पर चुनावों से होने वाली अनिश्चितता घटेगी।

3. एक साथ चुनाव से जुड़ी चुनौतियाँ

- **संवैधानिक जटिलताएँ** – अनुच्छेद 83, 172, 327 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन की आवश्यकता।
- **लॉजिस्टिक कठिनाइयाँ** – 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं और 10 लाख से अधिक मतदान केंद्रों का प्रबंधन।
- **संघवाद पर प्रभाव** – राज्यों की विधानसभाओं की स्वायत्तता सीमित होने की आशंका।
- **मतदाता व्यवहार में बदलाव** – राष्ट्रीय मुद्दों को वरीयता मिलने से स्थानीय मुद्दे गौण हो सकते हैं; छोटे दल प्रभावित होंगे।
- **राजनीतिक जवाबदेही में कमी** – बार-बार चुनाव जनप्रतिनिधियों को अधिक जवाबदेह रखते हैं।
- **राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना** – राष्ट्रपति शासन का उपयोग समय-पूर्व चुनाव संरेखण के लिए किया जा सकता है।

निष्कर्ष

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" भारत में चुनावी प्रणाली को अधिक व्यावहारिक, किफायती और स्थिर बना सकता है। यह नीति आचार संहिता से उत्पन्न नीति-गत पंगुता को कम करेगी और शासन को तेज़ एवं प्रभावी बनाएगी। किन्तु इसके सामने संवैधानिक, संघीय और प्रशासनिक चुनौतियाँ गंभीर हैं। अतः इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक है कि सभी दलों और राज्यों से व्यापक सहमति प्राप्त की जाए, संसाधन प्रबंधन पर ठोस रणनीति बने, और लोकतांत्रिक विविधता तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता का सम्मान सुनिश्चित किया जाए। अंततः, एक राष्ट्र–एक चुनाव तभी सफल हो सकता है जब यह राजनीतिक सुविधा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मजबूती का साधन बने।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव"
लोकतांत्रिक सुधार की दिशा में एक कदम

परिचय

भारत का लोकतांत्रिक ढाँचा अपनी चुनावी प्रक्रिया की जीवंतता पर आधारित है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के 400 से अधिक चुनाव हो चुके हैं, जिन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता को सिद्ध किया है। किंतु चुनावों की बार-बार और खंडित प्रकृति ने एक अधिक कुशल व्यवस्था की आवश्यकता को जन्म दिया है। इसी पृष्ठभूमि में **"एक राष्ट्र, एक चुनाव"** की अवधारणा पुनः चर्चा में आई है। यह विचार न केवल आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि शासन की निरंतरता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम हो सकता है।

अवधारणा का परिचय

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" का आशय लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना है। इसका अर्थ यह नहीं कि पूरे देश में एक ही दिन मतदान होगा, बल्कि यह है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावी चक्र एक साथ हों। मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही दिन दोनों स्तर की सरकारों के लिए मतदान कर सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य चुनावों से जुड़े रसद प्रबंधन की चुनौतियों का समाधान करना, वित्तीय लागत को कम करना और बार-बार लागू होने वाली आचार संहिता से उत्पन्न व्यवधानों को घटाना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में यह विचार नया नहीं है। संविधान लागू होने के बाद 1951-52 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी यह परंपरा जारी रही। किंतु 1968-69 में कुछ विधानसभाओं और चौथी लोकसभा का समय से पहले विघटन होने से यह सिलसिला टूट गया। आपातकाल की घोषणा के कारण पाँचवीं लोकसभा का कार्यकाल

बढ़ाया गया और उसके बाद शायद ही कोई लोकसभा अपनी पूर्ण अवधि तक चल सकी। इसी तरह राज्य विधानसभाओं में भी समय से पहले भंग होने या कार्यकाल विस्तार जैसी स्थितियों ने चुनावी चक्र को असंतुलित कर दिया। परिणामस्वरूप अब देश में लगभग हर वर्ष किसी न किसी स्तर पर चुनाव होते रहते हैं।

उच्च स्तरीय समिति और उसकी रिपोर्ट

भारत सरकार ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता की जाँच करना था।

- समिति को 21,500 से अधिक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें से 80% ने इसका समर्थन किया।
- 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने समर्थन दिया जबकि 15 ने लोकतांत्रिक विविधता और क्षेत्रीय मुद्दों के गौण होने की आशंका जताई।
- पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, चुनाव आयुक्तों और कानूनी विशेषज्ञों ने इस विचार को व्यावहारिक बताया।
- उद्योग संगठनों (CII, FICCI, ASSOCHAM) ने इसे आर्थिक दृष्टि से लाभकारी माना।

समिति ने दो चरणों में इसे लागू करने की सिफारिश की:

1. लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों का समन्वयन।
2. इनके 100 दिनों के भीतर पंचायत और नगरपालिकाओं के चुनाव कराना।

इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 82ए और 324ए जोड़ने का सुझाव दिया गया। साथ ही, एक समान मतदाता सूची और एकीकृत ईपीआईसी (EPIC) की सिफारिश भी की गई।

एक साथ चुनाव का औचित्य

(क) शासन में निरंतरता : बार-बार चुनाव होने से सरकारें चुनावी राजनीति में उलझ जाती हैं और विकास व कल्याणकारी योजनाएँ प्रभावित होती हैं। यदि चुनाव एक साथ होंगे तो सरकार का ध्यान नीति-निर्माण और क्रियान्वयन पर केंद्रित रह सकेगा।

(ख) नीतिगत निष्क्रियता में कमी : चुनावों के दौरान लागू आचार संहिता कई महीनों तक योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों को रोक देती है। समकालिक चुनावों से यह बाधा न्यूनतम होगी और सतत शासन संभव हो सकेगा।

(ग) संसाधनों का कुशल उपयोग : प्रत्येक चुनाव में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा बल और संसाधन तैनात करने पड़ते हैं। इससे उनकी मूल जिम्मेदारियों पर असर पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों का बँटवारा कम होगा और संस्थाएँ अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान दे सकेंगी।

(घ) क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता : समिति का तर्क है कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका इससे कम नहीं होगी। बल्कि यह व्यवस्था उन्हें अपने स्थानीय मुद्दों को अधिक स्पष्ट रूप से उठाने का अवसर देगी।

(ङ) राजनीतिक अवसर और समावेशिता : एक साथ चुनावों से पार्टियों में अवसर और जिम्मेदारियों का न्यायपूर्ण वितरण संभव होगा। नए नेताओं के उभरने की संभावना बढ़ेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक समावेशी बनेगी।

(च) वित्तीय बोझ में कमी : लगातार चुनावों में भारी आर्थिक खर्च होता है। समकालिक चुनावों से यह खर्च उल्लेखनीय रूप से घटेगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।

संभावित चुनौतियाँ

हालाँकि इस विचार में कई फायदे हैं, लेकिन कुछ गंभीर चुनौतियाँ भी सामने आती हैं:

1. **संवैधानिक बाधाएँ** – अनुच्छेद 83, 172, 327 और प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन की आवश्यकता होगी।
2. **लॉजिस्टिक दबाव** – 96 करोड़ से अधिक मतदाता और 10 लाख से अधिक मतदान केंद्रों का प्रबंधन कठिन होगा।
3. **संघवाद पर असर** – राज्यों की विधानसभाओं की स्वायत्तता घट सकती है।

4. **मतदाता व्यवहार पर प्रभाव** – राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय मुद्दों को ढँक सकते हैं, जिससे छोटे दलों का महत्व कम हो सकता है।
5. **राजनीतिक जवाबदेही** – बार-बार चुनाव नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखते हैं, यह अंतराल बढ़ सकता है।
6. **राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना** – चुनाव चक्रों के संरेखण के लिए राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग किया जा सकता है।

निष्कर्ष

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" भारत की चुनावी प्रक्रिया में एक बड़ा सुधार साबित हो सकता है। यह व्यवस्था आर्थिक बचत, प्रशासनिक दक्षता और शासन की स्थिरता को बढ़ा सकती है। किंतु इसके सामने संवैधानिक, राजनीतिक और संघीय ढाँचे से जुड़ी जटिलताएँ गंभीर हैं।
इसलिए इसे लागू करने से पहले **विस्तृत राजनीतिक सहमति, चरणबद्ध रणनीति** और **लोकतांत्रिक विविधता का सम्मान** आवश्यक है। यदि यह सुनिश्चित किया जाए तो यह सुधार भारत की चुनावी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़, किफायती और प्रभावी बना सकता है।
अंततः कहा जा सकता है कि "**एक राष्ट्र, एक चुनाव तभी सफल होगा जब यह लोकतांत्रिक विविधता को बनाए रखते हुए शासन की स्थिरता और जनता के कल्याण का माध्यम बने।**"

"एक राष्ट्र, एक चुनाव"

लोकतांत्रिक सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल

प्रस्तावना

भारत का लोकतांत्रिक ढाँचा अपनी चुनावी प्रक्रिया की **जीवंतता और निरंतरता** पर आधारित है। यह नागरिकों को शासन के प्रत्येक स्तर पर **सक्रिय भागीदारी** का अवसर प्रदान करता है। स्वतंत्रता के पश्चात् अब तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के **400 से अधिक चुनाव** सम्पन्न हो चुके हैं, जिन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की **निष्पक्षता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता** को प्रमाणित किया है। किंतु इन चुनावों की **खंडित एवं बार-बार होने वाली प्रकृति** ने शासन की सुचारुता, नीति-निर्माण और आर्थिक दक्षता के समक्ष गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। इसी पृष्ठभूमि में, "**एक राष्ट्र, एक चुनाव**" की अवधारणा पुनः राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आई है।

अवधारणा का परिचय

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" अर्थात् **समानांतर चुनाव** का अभिप्राय लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को **एक साथ** कराना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में **एक ही दिन** राज्य तथा केंद्र सरकार के लिए मतदान करेंगे। यद्यपि देश की विशालता और विविधता को देखते हुए यह प्रक्रिया विभिन्न चरणों में सम्पन्न हो सकती है, किंतु चुनावी समय-सीमाओं का **समन्वयन** इसके केंद्र में है। इसका उद्देश्य है—

- **लागत और संसाधनों में कमी,**
- **प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि,**
- तथा **बार-बार होने वाले चुनावों से उत्पन्न व्यवधानों** का समाधान।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में एक साथ चुनाव की परंपरा **नई नहीं है**।

- संविधान लागू होने के उपरांत **1951-52, 1957, 1962 और 1967** में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव **एक साथ** सम्पन्न हुए।
- किंतु **1968-69** में कुछ विधानसभाओं तथा **1970** में चौथी लोकसभा के समयपूर्व विघटन ने इस परंपरा को तोड़ दिया।
- इसके पश्चात्, केवल कुछ लोकसभाएँ (आठवीं, दसवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं) ही अपना पूर्ण पाँच वर्षीय कार्यकाल पूरा कर सकीं, शेष अधिकांश का कार्यकाल समय से पूर्व समाप्त हुआ।
- राज्य विधानसभाएँ भी बार-बार समयपूर्व भंग या विस्तार की स्थिति से गुज़रीं, जिसने चुनावी चक्र को पूरी तरह से असंगत बना दिया।

इस प्रकार, **खंडित चुनावी कार्यक्रम** भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और शासन-प्रणाली के लिए एक सतत चुनौती बन गया है।

उच्च-स्तरीय समिति की भूमिका

भारत सरकार ने **2 सितम्बर 2023** को पूर्व राष्ट्रपति **रामनाथ कोविंद** की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की। इस समिति का उद्देश्य था –

- एक साथ चुनाव की व्यवहार्यता का अध्ययन,
- जन और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का संग्रह,
- तथा संभावित लाभ और चुनौतियों का विश्लेषण।

प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें

- **जन प्रतिक्रिया**: 21,500 से अधिक अभिमत प्राप्त हुए, जिनमें से 80% ने इस व्यवस्था का समर्थन किया।
- **राजनीतिक दल**: 47 दलों में से 32 ने समर्थन किया, जबकि 15 ने क्षेत्रीय दलों के हाशिए पर जाने की आशंका व्यक्त की।
- **विशेषज्ञ मत**: पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, चुनाव आयुक्तों और विधि विशेषज्ञों ने इसे व्यावहारिक बताते हुए संसाधनों की बर्बादी को रोकने पर बल दिया।
- **आर्थिक पक्ष**: सीआईआई, फिक्की और एसोचैम जैसे संगठनों ने चुनावी चक्रों से जुड़ी अनिश्चितताओं को कम करके निवेश और आर्थिक स्थिरता को प्रोत्साहन देने पर बल दिया।
- **संवैधानिक संशोधन**: अनुच्छेद **82ए और 324ए** जोड़ने का सुझाव, ताकि लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए समानांतर चुनाव सम्भव हो सके।
- **कार्यान्वयन**:
  1. चरण-1 – लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ।
  2. चरण-2 – इसके 100 दिनों के भीतर नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव सम्पन्न करना।
- **मतदाता सूची और ईपीआईसी**: सभी स्तरों के लिए **एकीकृत मतदाता सूची** और **एकल पहचान पत्र** की सिफारिश।

एक साथ चुनाव का औचित्य

1. **शासन में निरंतरता**
   - बार-बार चुनावों के कारण राजनीतिक दल शासन से अधिक चुनावी राजनीति पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
   - एक साथ चुनाव से नीतिगत निरंतरता बनी रहेगी और शासन का फोकस **विकास एवं कल्याणकारी नीतियों** पर रहेगा।
2. **नीतिगत निष्क्रियता की रोकथाम**
   - आदर्श आचार संहिता (MCC) के कारण नीतिगत निर्णय और योजनाएँ स्थगित हो जाती हैं।
   - एक साथ चुनाव MCC की अवधि को सीमित करेगा, जिससे शासन की गति बाधित नहीं होगी।
3. **संसाधनों का कुशल उपयोग**
   - बार-बार चुनावों में सरकारी अधिकारियों, सुरक्षा बलों और शिक्षकों की बार-बार ड्यूटी लगाई जाती है।
   - समानांतर चुनाव इस विचलन को कम करेंगे, जिससे संसाधन अपनी मूल भूमिका में लगे रहेंगे।

4. **क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता**
    - समिति ने स्पष्ट किया कि समानांतर चुनाव क्षेत्रीय दलों की भूमिका को कमजोर नहीं करेगा।
    - बल्कि यह स्थानीय मुद्दों को अधिक केंद्रित और प्रभावशाली बनाएगा।
5. **राजनीतिक अवसरों में न्यायसंगतता**
    - वर्तमान में कुछ ही नेता चुनावी परिदृश्य पर हावी रहते हैं।
    - एक साथ चुनाव विभिन्न नेताओं और कार्यकर्ताओं को समान अवसर प्रदान करेगा, जिससे **विविधता और समावेशिता** बढ़ेगी।
6. **सुशासन और स्थिरता**
    - चुनावी चक्र के कारण सरकारें बार-बार प्रचार और राजनीति में उलझती हैं।
    - समानांतर चुनाव से यह ऊर्जा **सुशासन और जनकल्याण** में प्रयुक्त होगी।
7. **वित्तीय बोझ में कमी**
    - चुनावों पर व्यय किया जाने वाला विशाल धन, सुरक्षा संसाधन और उपकरण बार-बार लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।
    - इससे **आर्थिक प्रबंधन और निवेशकों का विश्वास** सुदृढ़ होगा।

संभावित चुनौतियाँ

यद्यपि यह विचार आकर्षक है, इसके समक्ष कुछ गंभीर चुनौतियाँ भी हैं—

- **संवैधानिक जटिलता**: अनुच्छेद 83, 172 और 327 सहित कई प्रावधानों में संशोधन आवश्यक है।
- **लॉजिस्टिक कठिनाइयाँ**: 96 करोड़ मतदाता, 10 लाख मतदान केंद्र और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंधन।
- **संघवाद पर प्रभाव**: राज्यों की स्वायत्तता सीमित होने की आशंका।
- **मतदाता व्यवहार**: राष्ट्रीय मुद्दों के प्रभाव में स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा।
- **राजनीतिक जवाबदेही**: बार-बार चुनाव जनप्रतिनिधियों को अधिक जवाबदेह बनाए रखते हैं; समानांतर चुनाव में यह अंतराल लंबा होगा।
- **राजनीतिक दुरुपयोग**: राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग समय-संरेखण हेतु संभव।

निष्कर्ष

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" भारतीय लोकतंत्र में **कुशलता, स्थिरता और आर्थिक मितव्ययिता** की दिशा में एक दूरगामी कदम है। यह चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकता है, शासन में निरंतरता ला सकता है और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित कर सकता है। किंतु इसके साथ जुड़े **संवैधानिक, संघीय और प्रशासनिक प्रश्नों** को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

अतः आवश्यक है कि—

- इस पर **व्यापक राजनीतिक सहमति** बनाई जाए,
- **संवैधानिक संशोधनों को चरणबद्ध ढंग से लागू** किया जाए,
- और लोकतांत्रिक विविधता एवं क्षेत्रीय स्वायत्तता की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जाए।

अंततः, यह सुधार तभी सफल होगा जब इसे **राजनीतिक सुविधा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मजबूती और सुशासन** का साधन बनाया जाए

एक राष्ट्र, एक चुनाव: आवश्यकता, चुनौतियाँ और प्रासंगिकता

प्रस्तावना (भूमिका)

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (One Nation, One Election) का तात्पर्य एक ऐसी समकालिक चुनावी व्यवस्था से है, जिसमें देश की लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक ही समय-सीमा के भीतर संपन्न कराए जाएं। आज़ाद भारत में यह अवधारणा नई नहीं है; वर्ष 1952 से 1967 तक देश में चुनाव एक साथ ही होते थे। किंतु, 1968-69 में कुछ विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के समय से पूर्व भंग होने के कारण यह समकालिक चक्र टूट गया। वर्तमान में, निरंतर चुनावी चक्र के कारण विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए इस व्यवस्था को पुनः लागू करना भारतीय राजनीति विमर्श के केंद्र में है।

हालिया संदर्भ: कोविंद समिति की रिपोर्ट हाल ही में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (High-Level Committee) ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसने इस विमर्श को एक नई दिशा दी है। समिति ने इसे लागू करने के लिए दो चरणों वाली प्रक्रिया की सिफारिश की है:

- **प्रथम चरण:** पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं।
- **द्वितीय चरण:** इसके 100 दिनों के भीतर नगर पालिकाओं और पंचायतों (स्थानीय निकायों) के चुनाव भी संपन्न कराए जाएं।
- समिति ने सभी चुनावों के लिए एक **'एकल मतदाता सूची' (Single Electoral Roll)** और एक ही 'मतदाता पहचान पत्र' बनाने की भी सिफारिश की है।

एक साथ चुनाव की आवश्यकता (पक्ष में तर्क)

1. **नीतिगत पंगुता (Policy Paralysis) से मुक्ति:** देश में हर साल औसतन 5-7 राज्यों में चुनाव होते हैं। बार-बार आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होने से नई लोक-कल्याणकारी योजनाएं और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। एक साथ चुनाव होने से सरकारें 5 साल तक निर्बाध रूप से विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी।
2. **राजकोषीय और आर्थिक बचत:** लगातार होने वाले चुनावों में चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का भारी धन खर्च होता है। समकालिक चुनाव से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले इस अप्रत्याशित वित्तीय बोझ में भारी कमी आएगी।
3. **प्रशासनिक और सुरक्षा दक्षता:** चुनावों में शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की बार-बार ड्यूटी लगती है, जिससे शिक्षा, सामान्य प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है। एक साथ चुनाव इस समस्या का प्रभावी समाधान है।
4. **सामाजिक ध्रुवीकरण में कमी:** बार-बार होने वाले चुनावों के कारण राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक की राजनीति, जातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाता है। चुनाव एक बार होने से समाज में निरंतर रहने वाला यह राजनीतिक तनाव कम होगा।

प्रमुख चुनौतियाँ (विपक्ष में तर्क)

1. **संवैधानिक जटिलताएँ:** इसे लागू करने के लिए संविधान के कम से कम 5 अनुच्छेदों (83, 85, 172, 174 और 356) में संशोधन करना होगा। इसके अलावा, राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ 'सिंक' (समकालिक) करने के लिए कम से कम 50% राज्यों के अनुसमर्थन (Ratification) की आवश्यकता होगी।
2. **संघीय ढांचे (Federal Structure) पर प्रभाव:** आलोचकों और कई क्षेत्रीय दलों का तर्क है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे अलग-अलग होते हैं। एक साथ चुनाव होने पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा और मतदाताओं का निर्णय प्रभावित हो सकता है।
3. **त्रिशंकु विधानसभा या सरकार गिरने का संकट:** यदि कोई गठबंधन सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर जाती है, तो शेष अवधि के लिए क्या व्यवस्था होगी? बार-बार मध्यावधि चुनाव कराना इस पूरी अवधारणा के ही विरुद्ध होगा।
4. **लॉजिस्टिक (संसाधनों) की कमी:** पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को लगभग 30 लाख से अधिक अतिरिक्त EVM और VVPAT मशीनों की आवश्यकता होगी, जिसका निर्माण और भंडारण एक बड़ी चुनौती है।

निष्कर्ष 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' भारत के लोकतांत्रिक और प्रशासनिक ढांचे में एक युगांतरकारी और साहसिक सुधार है। हालाँकि, यह केवल एक प्रशासनिक सुविधा का प्रश्न नहीं है, बल्कि भारत की बहुदलीय प्रणाली और संघीय ढांचे के भविष्य से जुड़ा विषय है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की समिति की रिपोर्ट ने इसे लागू करने का एक व्यावहारिक खाका अवश्य पेश किया है, लेकिन लोकतंत्र की सफलता सहमति में निहित है।

इसलिए, इसे थोपने के बजाय सभी राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और नागरिक समाज के बीच एक व्यापक राजनीतिक आम सहमति (Consensus) बनाना आवश्यक है। संविधान के मूल ढांचे को अक्षुण्ण रखते हुए इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना ही सबसे सुरक्षित और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होगा, जिससे भारत का लोकतंत्र अधिक परिपक्व और विकासोन्मुखी बन सकेगा।